

दिनांक
पृष्ठ

हुकम या कार्यवाही में इतिहास जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


16-7-21

उभय पक्ष द्वारा निर्णय पीनासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बा. इकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 20-7-21 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-7-21 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित,
वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल नुमा
होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 175/20 प्राप्पण

1- श्री सत्यनारायण शं. श्री लाडू लाल शुर्जर निवासी- कालुरवेडा तहसील

- प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती बरजी शं. श्री अंबर शुर्जर निवासी- कालुरवेडा तहसील (वर्ग 1A)
(प्रकृत प्रमाण)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 20-07-2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालुरवेडा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 994/424, 995/424 कुल कित्ता 02 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05-10-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालुरवेडा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 994/424, 995/424 कुल कित्ता 02 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा